2020
संख्या—203 / 81—2—~~2019~~—800(64) / 2019

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 **लखनऊ, दिनांक 28 जनवरी, 2020**

विषयः— जनपद—झांसी में झांसी—बबीना—ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—26 के किमी0 सं0—3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण / चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या—8बी / यूपी / 06 / 86 / 2019 / एफ.सी. / 461 दिनांक 31.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0—1452 / 11—सी—एफपी / यूपी / रोड / 39827 / 2019, दिनांक 21.01.2020 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2— अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 21.01.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं / अभिलेख की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

Data D, SO Nofal GOI Letter